न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 275/2005 (75 भू राजस्व अधिनियम 1956)(R.C.M.S . no 2005/00001)

1. मूला
2. लच्छी

पुत्रान घूडे जाति जोगी निवासी अवार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. भगवत पुत्र सरमन (मृतक)
   - 2/1 नवलसिंह
   - 2/2 बल्ली
   - 2/3 गुलाब

   पुत्रान स्व0 भगवत जातियान जाट निवासीयान ग्राम अवार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
   - 2/4 रेशम पुत्री भगवत
   - 2/5 कल्लो पुत्री भगवत
   - 2/6 नरेन्द्र पुत्र नबाब
   - 2/7 दीपा पुत्र नबाब
   - 2/8 हेमलता पुत्री नबाब
   - 2/9 माया विधवा नबाब
3. हरचन्द पुत्र पन्नी जाति जाट निवासी अवार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध तहसीलदार कुम्हेर निर्णय दिनांक 22.5.2000 मुकदमा नम्बर 1/2000 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 612 ग्राम अवार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्टस।
2. श्री गोविन्दसिंह डागुर वकील रैस्पोडेन्टस।

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

दिनांकः— 10.7.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार कुम्हेर के निर्णय दिनांक 22.5.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि मु0 अन्छी की मृत्योपरान्त दाखिल खारिज संख्या 612 दिनांक 2.11.1999 को अपीलान्टस के हक में तहसीलदार कुम्हेर द्वारा स्वीकार किया गया। दिनांक 15.11.1999 को भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को तहत अदालत द्वारा रिव्यू किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.5.2000 पारित किया गया जिसके तहत अपीलान्टस को संदेहास्पद मानते हुये नामान्तरकरण संख्या 612 दिनांक 2.11.99 निरस्त किया जाकर अपीलाधीन आदेश के अन्तिम पैरा में यह निर्देशित किया गया कि ''.....अगर इस सम्पत्ति का कोई जायज वारिस हो तो सक्षम न्यायालय से वारिसान प्रमाण पत्र लाकर प्रस्तुत करें तद्पोरान्त वारिसान के अनुसार कार्यवाही की जावे।.....'' इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि मु0 अन्छी जो अपीलान्ट्स की माता है की मृत्योपरान्त नियमानुसार मृत्युप्रमाण पत्र, पटवारी/ गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर विरासतन दाखिल खारिज संख्या 612 दिनांक 2. 11.1999 को अपीलान्टस के हक में तहसीलदार कुम्हेर द्वारा नियमानुसार स्वीकार किया गया। उसके बाद भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपरिहार्य स्वार्थवश मात्र कयासों के आधार पर अपीलान्ट को संदेहास्पद वारिस मानते हुये दिनांक 15.11.1999 को एक शिकायत की गई जिसके आधार पर प्रकरण को तहत अदालत द्वारा रिव्यू किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.5.2000 पारित किया गया जिसके तहत अपीलान्टस को संदेहास्पद मानते हुये नामान्तरकरण संख्या 612 दिनांक 2.11.99 निरस्त किया जाकर अपीलाधीन आदेश के अन्तिम पैरा में यह निर्देशित किया गया कि ''.....अगर इस सम्पत्ति का कोई जायज वारिस हो तो सक्षम न्यायालय से वारिसान प्रमाण पत्र लाकर प्रस्तुत करें तद्पोरान्त वारिसान के अनुसार कार्यवाही की जावे।.....'' जबकि एक सादा कागज पर बिना साक्ष्य सबूत के की गई शिकायत पर रिव्यू कार्यवाही नहीं की जानी चाहिऐ थी। दौराने रिव्यू कार्यवाही तहत अदालत द्वारा शिकायतकर्ता गिरदावर को बार—बार तलब किये जाने के बाद भी वे उपस्थित नहीं आये न ही अपनी शिकायत के संबध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया बाबजूद इसके तहत अदालत ने नई साक्ष्य लेकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो न्याय संगत नहीं रहता है। इस अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट्स अपने वास्तविक हक—हकूको से महरूम हो गया है जिससे अपीलान्टस को सख्त हक तलफी पैदा हो गई है। भू—अभिलेख निरीक्षक की शिकायत पर प्रकरण को रिव्यू किया जाना ही कानून से परे है भू अभिलेख निरीक्षक न तो इस प्रकरण में पक्षकार है न ही उसके हित प्रभावित है और न ही वह स्वयं किसी अदालत की परिभाषा में आता है। इसके अलावा रिव्यू में नई साक्ष्य ग्रहण की गई है जिनके आधार पर नामा0 संख्या 612 निरस्त किया गया है जो धारा 86 एल0 आर0 एक्ट एवं आदेश 47 नियम 4 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। जबकि रिव्यू में नई साक्ष्य का कोई प्रावधान ही नहीं है। तहत अदालत द्वारा गिरदावर की ओर से प्रस्तुत शिकायत दिनांक 15.11.99 के आधार पर नामान्तरकरण को रिव्यू

किया है। इस शिकायती पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आई एल आर द्वारा भी केवल ग्राम वासियों एवं अन्य व्यक्तियों से फौरी तौर पर मिली जानकारी को ही आधार बनाया है कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये केवल एक सादा शिकायती पत्र है जिस पर तहत अदालत ने बिना किसी औचित्य के रिव्यू कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। जबकि उसी गिरदावर ने नियमानुसार दिनांक 28.4.2000 को मौके पर जांच रिपोर्ट तैयार की तो वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो गई और उसी गिरदावर द्वारा अपने ही शिकायती प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन किया गया है। जिससे यह बखूबी साबित हो जाता है कि दिनांक 15.11.99 को प्रस्तुत शिकायत आनन फानन में बिना किसी जांच के गलत अफवाहों के आधार पर प्रस्तुत कर दी गई थी। दिनांक 16.12.99 दिनांक 24.12.99 दिनांक 20.4.2000 इस तरह कई बार तहत अदालत द्वारा आई0एल0आर0 को अपनी शिकायत के समर्थन में विस्तृत रिपोर्ट मय साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने के लिये ताकीद किया गया किन्तु वे तहत अदालत के आदेशों की अवमानना करते रहे वास्तव में उनके पास अपनी शिकायत को सिद्ध करने के लिये कोई दस्तावेजी साक्ष्य था ही नहीं वर्ना अपने वाद को सिद्ध करने का पूर्ण रूपेण दायित्व वादी का ही होता है। तहत अदालत ने स्वयं अपीलाधीन आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ''..... गिरदावर हल्का ने मेरे द्वारा जांच किये जाने के उपरान्त भी एक माह 15 दिवस के उपरान्त अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गिरदावर हल्का ने विवादास्पद प्रकरण में जांच के प्रति कोई गम्भीरता नहीं दिखलायी है.....'' इस रिपोर्ट को भी तहत अदालत ने विश्वसनीय नहीं मानते हुये संदेहास्प्रद माना है। दौराने रिव्यू कार्यवाही तहत अदालत ने गांव के केवल एक व्यक्ति के बयान को ही अपीलाधीन आदेश का आधार बना लिया है जबकि तहत अदालत के समक्ष अन्य गवाहन के भी बयान लिये गये है तथा ग्राम पंचायत अवार का प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर उपलब्ध है। जो अपीलान्टस मृतक अन्छी के विधिक वारिसान होने की ताईद करते है। यहां यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि ऐसे क्या कारण रहे कि तहत अदालत ने गिरदावर की बिना साक्ष्य सबूतो की शिकायत 15.11.99 को तो सही मान लिया लेकिन जब साक्ष्य सबूतों सहित मौके पर जांच रिपोर्ट 28.4.2000 तैयार कर प्रस्तुत की गई तो उसे विश्वसनीय नहीं माना गया । इसके अलावा सभी 6–7 लोगों के बयानों में से केवल एक ही व्यक्ति के बयानों को सही माना जबकि अन्य 6 लोगों के बयानों को नजर अंदाज कर दिया गया। जबकि तहत अदालत के समक्ष केवल एक व्यक्ति के अलावा सभी ने अपीलान्टस को मृतक अन्छी का वारिस होने की ताईद की है । दौराने रिव्यू कार्यवाही अपीलान्टस को समसुचित सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है न ही नोटिस जारी किये गये है अपीलाधीन आदेश अपीलान्टस की वेक पर पारित किया गया है जो सरासर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की भी अवहेलना है। इन तमाम तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्टस को उसके विरासतन हक हकूको से महरूम रखने के मकसद से योजनाबद्ध तरीके से कूटरचित कार्यवाही की गई है और अपीलाधीन अदेश में अपीलान्टस के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुये यह स्पष्ट कर दिया गया कि **''.....अगर इस सम्पत्ति का कोई जायज वारिस हो तो सक्षम न्यायालय से वारिसान प्रमाण पत्र लाकर प्रस्तुत करें.....''** ऐसी स्थिति में अपीलान्टस को विधिक वारिसान होते हुये भी वेवजह माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बयाना जिला भरतपुर की शरण लेनी पडी और आखिरकार न्याय की जीत हुई और माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बयाना जिला भरतपुर द्वारा दिनांक 3

अगस्त 2002 को अंतर्गत धारा 278 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (प्रशासन पत्र) के तहत अपीलान्टस को मृतक अन्छी बाई पत्नी घूरे उर्फ प्रीतम का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना है। जिसकी पालना में **माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बयाना जिला भरतपुर द्वारा अपीलान्टस के हक में दिनांक 17.8.2002 को प्रशासन पत्र भी जारी किया गया है जो पत्रावली में उपलब्ध है।** ऐसी स्थिति में जब सक्षम अदालत द्वारा अपीलान्टस के हक में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है तो अब अपीलान्टस को उसके विरासतन हक हकूकों से महरूम रखे जाने का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरे अपील दिनांक 22.5.2000 तहसीलदार कुम्हेर निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण 612 बहाल रखा जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.5.2000 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि अपीलान्टस द्वारा तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 22.5.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलान्टान द्वारा पुत्रान घूडे जाति जोगी निवासी अवार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर का बताया है जबकि रिकार्ड के अनुसार प्रीतम एवं घूडे दो अलग–अलग व्यक्ति है। प्रीतम लहचोरा कलां तहसील बयाना का रहने वाला है और घूडे ग्राम अवार तहसील कुम्हेर का रहने वाला है। घूडे की पत्नि का नाम अंछी था और अछी ग्राम अवार की रहने वाली थी और अंचा बेवा प्रीतम है। इस प्रकार घूडे व प्रीतम एवं अंछी व अंचा दोनों अलग–अलग व्यक्ति एवं दोनों अलग–अलग औरते है। मूला व लच्छी अंचा वेवा प्रीतम के पुत्र है जो कि वर्तमान में ग्राम कुरका तहसील रूपवास में रहते है पूर्व में ग्राम लहचोरा कला तहसील बयाना में रहते थे। यह कि नकल जमाबन्दी ग्राम अवार तहसील कुम्हेर से सावित है जिसमें अंछी वाल्दा घूडे लिख हुआ है और वाल्दा का मतलब माता से है इसलिऐ अंछी घूडे की माता हुई। हो सकता है कि राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठि करते समय वाल्दा की जगह वेवा अंकित कर दिया गया हो। इसके अलावा अंचा वेवा प्रीतम जिसके तीन लडके श्यामा, मूला व लच्छी एवं दो लडकी सूसन्ना व तेजो है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मूला के पिता का नाम प्रीतम अंकित है मूला के पिता का नाम प्रीतम उर्फ घूडे किसी भी दस्तावेज में अंकित नहीं है। वोटरलिस्ट के अनुसार मूला पुत्र प्रीतम जिसमें मूला का फोटो भी दिया हुआ है और मूला पुत्र प्रीतम अंकित है। मूला पुत्र प्रीतमएवं प्रीतम के तीन लडके, दो लडकिया एवं मूला का दामाद प्रेमपाल सिंह इन सब का ग्राम पंचायत लहचोरा कला तहसील बयाना की और से प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है। न्यायालय में मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची, प्रमाण पत्र ग्राम लहचोराकलां प्रमाण पत्र, ग्राम कुरका , दावा भगवत अंछी व हरचंद बनाम अंछी एवं जमाबन्दी की सत्यप्रति पेश है। यह कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1652, 1649 जो कि मु0 अंछी वेवा घूडे कौम जोगी निवासी अवार के विरूद्ध दो दावे अलग–अलग भगवत व हरचन्द सहायक कलक्टर मुख्यालय भरतपुर में दिनांक 10.4.1999 को प्रस्तुत किये गये थे लेकिन दावा प्रस्तुत करने के बाद फर्जकारी तरीके से मूला व लच्छी जो प्रीतम के पुत्र है फर्जकारी तरीके से घूडे के पुत्र बनकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एक विक्रय पत्र दिनांक 3.11.1999 को ओमवीर के नाम तस्दीक करा दिया । विक्रय पत्र पर मूला का फोटो एवं लच्छी के फोटो के स्थान पर प्रेमपाल पुत्र गिर्राज किशोर जो कि प्रीतम का दामाद है का फोटो लगा दिया और फर्जकारी तरीके से बयनामा कर दिया। उक्त प्रेमपाल जो लच्छी बयनामें में बना था उसका मतदान पहचान पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त सभी के विरूद्ध फर्जकारी की रिपोर्ट दर्ज करवायी। जिसमें न्यायालय ए0सी0जे0एम0 संख्या –4 भरतपुर द्वारा मूला लच्छी, प्रेमपाल के विरूद्ध धारा 419, 120, आईपीसी तथा द्रोपती, बनयसिंह, ओमवीर, थानसिंह, खचेरा के विरूद्ध 420, 120 बी भा0द0सं0 में दिनांक 21.12.2004 को प्रसंज्ञान लिया गया । इस प्रकार इन समस्त दस्तावेज के आधार पर मूला व लच्छी घूडे के पुत्र न होकर प्रीतम के पुत्र है व घूडे व प्रीतम एवं अंचा व अंछी अलग– अलग व्यक्ति व अलग–अलग औरते है व अलग–अलग गांव के रहने वाले है एक परिवार के भी नहीं है। षडयन्त्र रचकर फर्जकारी करके अंछी वेवा घूडे के वारिसान बनकर दाखिल खारिज जो खुलवाया था उसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है जो काबिले खारिजी के है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे तथा तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.5.2000 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मृतक खातेदार मु0 अन्छी की मृत्योपरान्त विरासतन दाखिल खारिज संख्या 612 दिनांक 2.11.1999 को अपीलान्टस के हक में तहसीलदार कुम्हेर द्वारा स्वीकार किया गया। दिनांक 15.11.1999 को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को तहत अदालत द्वारा रिव्यू किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.5.2000 पारित किया गया जिसके अंतर्गत अपीलान्टस को संदेहास्पद वारिस मानते हुये नामान्तरकरण संख्या 612 दिनांक 2.11.99 निरस्त किया जाकर निर्देश दिये गये कि ''.....अगर इस सम्पत्ति का कोई जायज वारिस हो तो सक्षम न्यायालय से वारिसान प्रमाण पत्र लाकर प्रस्तुत करें तदोपरान्त वारिसान के अनुसार कार्यवाही की जावे।.....'' इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकरण का मुख्य विवादित बिन्दु मृतक अन्छी के वास्तविक वारिसानों का है। जिनके नाम विरासतन नामान्तरकरण खोला जाना है। अपीलाधीन आदेश के अंतर्गत तहत अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस सम्पत्ति का कोई जायज वारिस हो तो सक्षम न्यायालय से वारिसान प्रमाण पत्र लाकर प्रस्तुत करें तदोपरान्त वारिसान के अनुसार कार्यवाही की जावे। जिसकी पालना में अपीलान्टस की ओर से माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय बयाना जिला भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई याचिका अंतर्गत धारा 278 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम अपीलान्टस के हक में दिनांक 3.8.2002 को स्वीकार की जा चुकी है। जिसके आधार पर उक्त न्यायालय ने दिनांक 17.8.2002 को 4410/– रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अपीलान्टस के हक में प्रशासन पत्र जारी किया गया है। जिसमें अपीलान्टस को मृतक श्रीमती अन्छीबाई पत्नि घूरे उर्फ प्रीतम का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना है । वास्तव में इस अपील में उत्तरवादीगण कोई सरोकार नहीं रखते है यह अपील विरासतन नामान्तरकरण की अपील है और नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हक–हकूक तय नहीं किये जा सकते। इस प्रकरण में तो केवल विरासत एवं लावारिश का ही बिन्दु तय किया जाना है। अब चूंकि सक्षम अदालत द्वारा अपीलान्टस के हक में निर्णय दिनांक 3.8.2002 एवं प्रशासन पत्र दिनांक 17.8.2002 जारी किया जा चुका है जिसके तहत अपीलान्टस मूला और लच्छी को मृतक श्रीमती अन्छीबाई पत्नि घूरे उर्फ प्रीतम का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना है। लिहाजा मृतक अन्छी के वारिसानों की स्थिति क्लीयर होने से अब इस प्रकरण में कुछ शेष नहीं रह जाता है। यह प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय बयाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.8.2002 एवं अपीलान्टस के हक में जारी प्रशासन पत्र दिनांक 17.8.2002 के परिपेक्ष्य में पुनः विरासतन नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु तहत अदालत को प्रेतिप्रेषित किये जाने योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त बिवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.5.2000 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार कुम्हेर को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय बयाना जिला भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.8.2002 एवं अपीलान्टस के हक में जारी प्रशासन पत्र दिनांक 17.8.2002 के परिपेक्ष्य में पुनः विरासतन नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 10.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official